

मुद्रावली सेवा डाटा - कृषि विभाग डाटा क्र. 42/19

दिनांक

आज्ञा पत्र

15.10.24

पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेसपोण्डेंस की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा न्यायालय को भेजा गया। आदेश 5 नियम 9(5) सीविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली धारते अधिम कार्यवाही दिनांक 22.10.24 को पेश हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजरव अपील अधिकारी

23.10.24

पत्रावली पेश। कृषि विभाग डाटा क्र 39 कासत कदम दिनांक 18.11.24 को पेश हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजरव अपील अधिकारी

18.11.24

पत्रावली पेश। कृषि विभाग डाटा क्र 39 कासत कदम दिनांक 16.12.24 को पेश हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजरव अपील अधिकारी

16.12.24

पत्रावली पेश। कृषि विभाग डाटा क्र 39 कासत कदम दिनांक 20.12.24 को पेश हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजरव अपील अधिकारी

20.12.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल (5 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजरव अपील अधिकारी सांकर

